

**बिहार सरकार
सहकारिता विभाग।**

॥ संकल्प ॥

सचिका संख्या-7/नि.(विधि-12) विविध-57/2025

विषय:- राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था 'नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट लि०' (NCEL) हेतु राज्य में कार्यरत सहकारी संस्था 'बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ लि०' (BISCOMAUN) को 'राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी' नामित किये जाने के संबंध में।

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने बहुराज्यीय सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 2002 के तहत 'राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि०' (NCEL) की स्थापना की है। NCEL का गठन सहकारी समितियों के वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए एक ऐसे सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करने के लिए किया गया है, जिससे उन वस्तुओं, जिसमें भारत को तुलनात्मक लाभ प्राप्त है, उनके निर्यात को बढ़ावा मिल सके।

'राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि०' (NCEL) अंतराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच बनाकर भारतीय सहकारी क्षेत्र में उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं के अधिशेष के निर्यात पर फोकस करेगी। इससे भारतीय सहकारी वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ेगी एवं इनके लिए प्रीमियम कीमत प्राप्त होगी। 'राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि०' (NCEL) निर्यात से अर्जित लाभ को अपने सदस्य सहकारी समितियों को उनके शेयर पर लाभांश और किसानों को उनसे खरीदे गये उत्पादों के अंतिम मूल्य के रूप में वितरित करेगी।

2. 'बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ लि०' (BISCOMAUN) मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाईटी एक्ट (MSCS), 2002 के अन्तर्गत निबंधित सहकारी संस्था है, जिसका निबंधन संख्या-MSCS/CR/1074/2014 एवं मुख्यालय बिस्कोमान भवन, पटना है। बिस्कोमान का कार्यक्षेत्र बिहार एवं झारखण्ड है।

'बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ लि०' (BISCOMAUN) का गठन कृषि, बागवानी एवं वन उत्पादों की पैदावार के मार्केटिंग, प्रोसेसिंग और स्टोरेज को संगठित करने के उद्देश्य से किया गया है। यह अपनी सदस्य सहकारी समितियों, भारत सरकार या अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा तैयार की गयी योजना के तहत कृषि और अन्य वस्तुओं के आयात-निर्यात और अन्तराज्यीय व्यापार के लिए एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है।

3. सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के किसी उचित संस्था को नामित करने का अनुरोध किया गया है, जो 'नेशनल को-ऑपरेटिव

एक्सपोर्ट लि.' (NCEL) के साथ राज्य सरकार की ओर से नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करे।

4. उक्त आलोक में राज्य में सहकारी समितियों एवं उनके सदस्यों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के संग्रहण, भण्डारण, प्रसंस्करण, परिवहन, वितरण एवं विपणन के उद्देश्य से 'बिहार राज्य विपणन सहकारी फेडरेशन लि०' का गठन किया जा रहा है, जिसके गठन एवं पूर्ण रूपेण कार्य प्रारम्भ करने तक 'नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट लि.' (NCEL) के साथ MoU हस्ताक्षरित करने के लिए राज्य में कार्यरत सहकारी संस्था 'बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ लि.' (BISCOMAUN) को 'राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी' नामित किया जाता है।

5. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावी समझा जायेगा।

6. राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 08.06.2026 में मद संख्या-17 के रूप में (संचिका संख्या-7/नि.(विधि-12) विविध-57/2025, पृष्ठ 17/टि0) स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

(धर्मेन्द्र सिंह)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 5981

/पटना, दिनांक- 11-06-2026

07/नि. (विधि-12) विविध-57/2025

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला प्रशासिक।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 5981

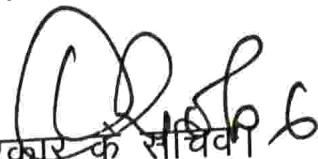
/पटना, दिनांक- 11-06-2026

07/नि. (विधि-12) विविध-57/2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग के आप्त सचिव/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना/सभी जिला सहकारिता

(45)

पदाधिकारी/सभी प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक
लि०/प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 5981...../पटना, दिनांक- 11-06-2016

07/नि. (विधि-12) विविध-57/2025

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजार बाग, पटना/उप सचिव
(ई-गजट कोषांग) वित्त विभाग बिहार, पटना को संकल्प की
सी.डी. एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण
अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि 20 मुद्रित
प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे। विभागीय
आईटी मैनेजर को इस आशय से प्रेषित की विभागीय वेबसाइट
पर संकल्प की प्रति अपलोड करना सुनिश्चित करें।


सरकार के सचिव।

MK